



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 88 राँची, सोमवार,

10 फ़रवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

8 जनवरी, 2025

संख्या-04/नि०सं०-12-06/2020 का० 78--श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-128/20, द्वितीय बैच, गृह जिला-साहेबगंज), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर (चतरा) सम्प्रति अंचल अधिकारी, नोवामुंडी, (प० सिंहभूम) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के फलस्वरूप दिनांक 16.10.2023 एवं 16.11.2003 को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति की अनुशंसा हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री कुमार के संबंध में समिति द्वारा अनुशंसा मुहरबंद लिफाफ में रखने की प्रक्रिया अपनायी गई ।

2. श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से०, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-128/20, द्वितीय बैच, गृह जिला-साहेबगंज), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी प्रतापपुर (चतरा) के पदस्थापन अवधि से संबंधित आरोप के आलोक में समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-23948(HRMS), दिनांक 08.09.2023 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-8432(HRMS) दिनांक-12.01.2024 द्वारा श्री मनोज कुमार झा०प्र०से० को उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से आरोप मुक्त किया गया ।

4. विभागीय संकल्प सं० 6227 दिनांक 20.11.2008 की कंडिका 2(vi) के अनुसार किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता तो पूर्णतः दोषमुक्त होने की स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबन्द लिफाफ में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी ।

5. विभागीय संकल्प संख्या-8432 (HRMS) दिनांक- 12.01.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं०-6227, दिनांक 20.11.2008 के अनुसार श्री कुमार की प्रोन्नति से संबंधित दिनांक 16.10.2023 एवं 16.11.2023 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में संधारित मुहरबंद लिफाफ को दिनांक 03.12.2024 को विभागीय सचिव के समक्ष खोला गया ।

- विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 16.10.2023 एवं 16.11.2023 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा श्री मनोज कुमार के संबंध में "प्रोन्नति के योग्य" अनुशंसा की गई है ।

6. श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से०, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-128/20, द्वितीय बैच, गृह जिला साहेबगंज) से कनीय श्रीमती अनुराधा कुमारी, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-180/20) को विभागीय अधिसूचना सं० 7424 दिनांक-30.12.2023 के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

7. अतः वर्णित तथ्यों पर सम्यकरूपेण समीक्षोपरांत श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से०, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-128/20, द्वितीय बैच, गृह जिला साहेबगंज) को उनसे कनीय श्रीमती अनुराधा कुमारी, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-180/20) की अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15600-39100 GP-6600, पुनरीक्षित Pay matrix Level-11) में प्रदान की गई प्रोन्नति की तिथि 30.12.2023 से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

8. श्री मनोज कुमार अंचल अधिकारी, नोवामुंडी (पश्चिमी सिंहभूम) के धारित पद को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15600-39100 GP-6600, पुनरीक्षित Pay matrix Level-11) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

9. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में श्री कुमार को प्रदत्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा ।

10. यह प्रोन्नति याचिका संख्या WP(S) No. 4357/2020 समीर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, WP(S) No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

- यह प्रोन्नति झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के द्वितीय बैच के पदाधिकारियों की प्रोन्नति के संबंध में दायर W.P.(PIL) No. 3594/2011 (बुद्धदेव उरांव एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य याचिकाएँ) में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।
